

## मंत्रपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण नरिणय

### चर्चा में क्यों?

30 दसिंबर, 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रपरिषद की बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशावापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का नरिणय लेने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये गए।

### प्रमुख बदि

- कैबिनेट की बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशावापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का नरिणय लिया गया।
  - इसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल, 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भवषिय नधिका सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर, 2004 या उसके बाद नयिकृत तथिसे 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जति लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नयिमों के तहत देय होगा।
  - कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जति लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिये शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का वकिलूप नोटराईज्ड शपथ-पत्र में देना होगा। यह वकिलूप अंतमि और अपरविरतनीय होगा।
  - शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के वकिलूप लेने पर 1 नवंबर, 2004 से 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा कयि गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा।
  - 1 अप्रैल, 2022 एवं उसके पश्चात् नयिकृत होने वाले राज्य के शासकीय सेवक अनविरय रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
- कैबिनेट की बैठक में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिये वशिष योजना प्रारंभ करने का नरिणय लिया गया। इस योजना में कुल 780 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च कयि जाएंगे।
- वाणजियकि वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार और किसानों की आय में वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण नरिणय लेते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का नरिणय लिया गया।
- प्रदेश में मलिट्स मशिन कार्यक्रम के क्रयान्वयन के संबंध में चर्चा की गई और राज्य में मलिट उत्पादन एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कृषि, वन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण वकिस, स्कूल शकिस, अनुसूचति जात एवं जनजात वकिस, खाद्य, महिला एवं बाल वकिस, ग्रामोद्योग, संस्कृति, वाणजिय एवं उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क, गृह एवं जेल, वाणजियकि कर तथा स्वास्थ्य एवं परविर कल्याण वभिग द्वारा संयुक्त रूप से पहल की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ अनधकृत वकिस का नयिमतिकरण (संशोधन) वधियक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कयि गया।
- छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतषिध) वधियक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कयि गया।
- अंतर्वभिगीय और अंतरनकाय से संबंधति केंद्र राज्य प्रवर्तति योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रयान्वयन अनुश्रवण हेतु 5 नवीन ज़िलों में ज़िलास्तरीय एग्लोमरेशन एवं ज़िलास्तरीय समति गिठन का नरिणय लिया गया।
- एंबुलेंस श्रेणी के वाहनों से जीवनकाल कर उद्ग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधनियम, 1991 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन कयि गया।
- वाहनों से असथायी पंजीयन कर में वृद्धिकयि जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधनियम, 1991 एवं नयिम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन कयि गया।
- राज्य के सभी ज़िलों में राज्य योजना के राशनकार्डधारियों (एपीएल को छोड़कर) को फोर्टफाईड चावल वतिरण करने का नरिणय लिया गया। इसमें 42 करोड़ रुपए की राशा विय्य होगी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013 के अंतर्गत जारी राशनकार्डों में माह जनवरी 2023 से दसिंबर 2023 तक नःशुल्क खाद्यान्न वतिरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधनियम, 2012 के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमकिता राशनकार्डों में नःशुल्क खाद्यान्न वतिरण करने का नरिणय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ औद्योगकि भूमि एवं प्रबंधन नयिम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन कयि गया।
- वधिानसभा कषेत्र क्रमांक 88 दंतेवाड़ा के माननीय वधिायक भीमा मंडावी की मृत्यु की घटना की न्यायकि जाँच का प्रतविदन प्रस्तुत कयि गया।

